<u>न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश संख्या–02, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारीः–	**नारायण प्रसाद,** R.J.S. {U.I.D. No.RJ00778} {जिला न्यायाधीश संवर्ग}
दीवानी अपील संख्याः–	27/2021
C. I. S. No.:–	19/2016
सीएनआर संख्याः–	RJSG09-000650-2016

01. पम्मा,
02. बिन्दिया,
03. रामप्यारी
समस्त पुत्रियान–श्रवणराम, निवासी चक 11 एल.एम., तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

––अपीलार्थीगण

बनाम

01. हेतराम पुत्र श्रवणराम, निवासी चक 11 एल.एम., तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
02. सोहनलाल,
03. ओमप्रकाश,
नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता लालीदेवी पत्नी श्रवणराम, निवासी चक 11 एल.एम., तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
04. लालीदेवी पत्नी श्रवणराम, निवासी चक 11 एल.एम., तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
05. मीरा पुत्री श्रवणराम, निवासी चक 11 एल.एम., तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

––प्रत्यर्थीगण

दीवानी अपील विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.04.2015 न्यायालय सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़(श्री विकास कालेर, आर.जे.एस.) जिसकी रूह से प्रकरण ब अनवानी छिन्द्रिया आदि बनाम हेतराम आदि, नं. दीवानी वाद सं–26/2010 में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया गया, बमुराद मन्सुख करने आदेश

उपस्थितिः–

01. श्री रविन्द्र बलाना, विद्वान अधिवक्ता–अपीलार्थीगण,
02. श्री मूलाराम जांगू, विद्वान अधिवक्ता–प्रत्यर्थीगण,

– :: निर्णय:: – **दिनांक–04.08.2026**

1. यह दीवानी अपील अपीलार्थीगण पम्मा आदि की ओर से विचारण न्यायालय

सिविल न्यायाधीश, अनूपगढ़(श्रीगंगानगर) के नियमित दिवानी प्रकरण संख्या 26/2010, अनवानी छिन्द्रिया आदि बनाम हेतराम आदि में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.04.2015, जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वादपत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया, से व्यथित होकर दिनांक 25.07.2016 को न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या–01, अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहाँ से विधिवत सुनवाई हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई।

2. हस्तगत अपील से सम्बन्धित प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थीगण/वादीगण छिन्द्रिया आदि द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.05.2010 को वादपत्र बाबत् घोषणात्मक व्यादेश एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के हिस्सा तक दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 12.03.2010 वादीगण के अधिकारों पर प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का विरूद्ध प्रतिवादीगण हेतराम आदि प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 हेतराम द्वारा दिनांक 12.12.2011 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों का खण्डन किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 02 ता. 04 द्वारा पृथक् से इकबाली जवाब पेश कर वादीगण के वादपत्र के अधिकांश तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 27.02.2013 को जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

3. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात की विरचना की गईः–

1. क्या वादीगण चक 11 एलएम का मुरब्बा नं. 9 (पत्थर सं. 284/486), मुरब्बा नं. 10 (पत्थर सं. 285/486) की दस्तबरदारी दिनांक 12.03. 10 को शून्य घोषित करवाने के अधिकारी हैं? **––वादीगण**

2. क्या वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 3 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की छेड़छाड़ व अंतरण ना करें ? **––वादीगण**

3. क्या वाद अपूर्ण कोर्टफीस पर पेश किया गया है ? **––प्रतिवादी सं. 1**

4. अनुतोष ?

4. वादीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गईः–

मौखिक साक्ष्यः–

क्र.सं.	गवाह का नाम

01.	पी.डब्ल्यू.–01 – पम्मा
02.	पी.डब्ल्यू.–02 – रामप्यारी
03.	पी.डब्ल्यू.–03 – बिन्दिया

दस्तावेजी साक्ष्यः–

क्र.सं.	प्रदर्श मार्क संख्या	दस्तावेज विवरण
01.	प्रदर्श–01	दस्तबदारी दिनांक 12.03.2010
02.	प्रदर्श–02	जमाबंदी, चित्रप्रति प्रदर्श–02 ए
03.	प्रदर्श–03	जमाबंदी, चित्रप्रति प्रदर्श–03 ए

5. प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य पेश की गईः–

मौखिक साक्ष्यः–

क्र.सं.	गवाह का नाम
01.	डी.डब्ल्यू.–01 – हेतराम
02.	डी.डब्ल्यू.–02 – तुलसाराम

6. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष सुनी जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण का वादपत्र निर्णय दिनांकित 15.04.2015 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत दीवानी अपील अपीलार्थीगण/वादीगण के द्वारा दिनांक 25.07.2016 को प्रस्तुत की गई।

7. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई।

8. बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही विवेचन व विश्लेषण नहीं किया गया है। अपीलार्थी पक्ष ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं तथा इस तथ्य की ओर विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। सोहनलाल, ओमप्रकाश व लालीदेवी द्वारा वाद में ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादपत्र के तथ्यों की पुष्टि की गई थी लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 01 हेतराम द्वारा अपीलार्थी की अनपढ़ता का फायदा उठाकर दिनांक 12.03.2010 को दस्तबरदारी निष्पादित करवाई गई है जबकि अपीलार्थीगण द्वारा केवल अपनी माता के पक्ष में हक त्याग किया गया था, ना कि अपने भाईयों के पक्ष में। प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा हेतराम के पक्ष में धोखा में रखकर सारी कार्यवाही की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा निष्पादित दस्तावेज दस्तबरदारी शुरू से ही अवैध एवं शून्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपने पक्ष में सब रजिस्ट्रार को परीक्षित नहीं करवाया गया

है, जिससे दस्तावेज का निष्पादन संदेहास्पद है। विवाद्यक संख्या 03 न्यायशुल्क के सम्बन्ध में था तथा यदि न्यायालय न्यायशुल्क कम पाता है तो वाद के पक्षकारों को न्यायशुल्क प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है तथा न्यायशुल्क पुरा करवाया जा सकता था जबकि विवाद्यक संख्या 03 अपीलार्थीगण के विरूद्ध तय कर भारी भूल की है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

9. बहस के दौरान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील में ऐसा कोई आधार प्रकट नहीं किया गया है, जिससे कि विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय पर संशय उत्पन्न किया जा सके एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा विधि का उचित रूप से विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अंत में अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली, निर्णय/डिक्री एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन एवं अध्ययन किया गया। हस्तगत अपील के निस्तारण हेतु वादी के वादपत्र, मीमो ऑफ अपील, पक्षकारान् की बहस के आधार पर निम्न अवधार्य बिन्दु विरचित किया जाता हैः–

1.) **"क्या विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि की गई है और आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है?"**

11. उक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश एवं संलग्न विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील के साथ धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. जहाँ तक अपील ज्ञापन में उल्लिखित तथा बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा किये गये इस कथन का प्रश्न है कि अपीलार्थीगण अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं तथा उन्हें धोखे में रखकर दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 12.03.2010 निष्पादित करवाया गया है तो उक्त तथ्य को साबित करने का भार अपीलार्थीगण पर था। केवल अनपढ़ता व ग्रामीण परिवेश की महिला होना अपने आप में किसी दस्तावेज के निष्पादन को शून्य घोषित किये जाने का आधार नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो सभी अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की महिलाएं स्वेच्छया निष्पादित किसी दस्तावेज को किसी भी समय शून्य घोषित करवा सकेगी तथा यदि कोई ग्रामीण या अनपढ़ महिला किसी सम्पत्ति का अन्तरण करना चाहेगी तो वह किसी सम्पत्ति का अन्तरण भी नहीं कर सकेगी। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा

अपीलार्थीगण की अनपढ़ता व ग्रामीण परिवेश की महिलाएं होने का लाभ उठाया गया हो, इस सम्बन्ध में कोई समुचित साक्ष्य अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अथवा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. जहाँ तक अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह कथन है कि सोहनलाल, ओमप्रकाश व लालीदेवी द्वारा ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया था एवं वादपत्र के तथ्यों की पुष्टि की गई थी तो उक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब से दस्तबरदारी दिनांक 12.03.2010 को निष्पादित होने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रह जाता है। यदि अपीलार्थीगण दस्तावेज दिनांक 12.03.2010 धोखे से निष्पादित करवाये जाने का कथन करते हैं तो यह साबित करने का भार भी उन्हीं पर ही है लेकिन इसे साबित करने के लिए उनके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा सब रजिस्ट्रार को परीक्षित नहीं करवाया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा जिस दस्तावेज का शून्य घोषित करवाना चाहा गया है, वह एक पंजीकृत दस्तावेज है तथा पंजीकृत दस्तावेज के विधिपूर्वक निष्पादित होने की उपधारणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज विधिपूर्वक निष्पादित नहीं हुआ है, यह साबित करने का भार अपीलार्थीगण पर था। अतः अपीलार्थीगण का यदि यह कहना है कि उप-पंजीयक को परीक्षित करवाया जाना आवश्यक था तो उनके द्वारा ही उप-पंजीयक को तलब करवाना चाहिए था। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा उप-पंजीयक को साक्ष्य में पेश नहीं करने से प्रत्यर्थी संख्या 01 के मामले पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

15. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादिया पी.ड.01 छिन्द्रिया द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा की गई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में कोई फौजदारी मुकदमा किसी पुलिस थाना में या कोर्ट में नहीं करवाया गया है। जिसके सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध किया जाता तो अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की जाती। इस सम्बन्ध में यह न्यायालय विचारण न्यायालय के उपरोक्त मत से सहमत है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी के साथ धोखाधड़ी की जाती तो स्वाभाविक रूप से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की जाती। अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य के दौरान दस्तावेज निष्पादित करते समय अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बिना किसी दबाव के किये जाने का कथन किया गया है।

16. प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा दस्तावेज दिनांक 12.03.2010 के निष्पादन को साबित करने के लिए उक्त दस्तावेज के गवाह तुलसाराम को परीक्षित करवाया गया

है जिसके द्वारा उक्त दस्तावेज अपने समक्ष निष्पादित होने का कथन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी पाया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 की कपट करने की नीयत होती तो उसके द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जाता तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पक्ष में किसी प्रकार की सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जाता जबकि दस्तावेज दिनांक 12.03.2010 दस्तबरदारी के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को भी सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हुए हैं।

17. जहाँ तक अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह कथन है कि यदि न्यायशुल्क न्यायालय द्वारा कम पाया जाता है तो वह वाद के पक्षकारों को पर्याप्त न्यायशुल्क अदा करने का आदेश दे सकते हैं लेकिन उक्त आदेश वाद के विचारण के दौरान तो दिया जा सकता है। वाद का अंतिम रूप से निपटारा करते समय उक्त आदेश दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

18. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता, अवैद्यता एवं अविधिमान्यता अथवा त्रुटि नहीं पायी गयी है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार किये जाने एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है। आदेश निम्नवत् हैः-

- :: आ दे श :: -

19. अतः अपीलार्थीगण/वादीगण पम्मा आदि की ओर से प्रस्तुत यह दीवानी अपील विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण हेतराम आदि अस्वीकार की जाकर **खारिज** की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री **दिनांक 15.04.2015** की **पुष्टि** की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

20. निर्णय/आदेश की सत्यप्रति विद्वान विचारण न्यायालय को पत्रावली के साथ अविलम्ब प्रेषित की जावे।

{ नारायण प्रसाद }
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-02
अनूपगढ़, जिला-श्रीगंगानगर

21. आदेश आज दिनांक 04.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Steno Gr.II
"Authenticate Document"

PRAVEEN KUMAR

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR
Date: 2026.08.04 17:19:03 +0530

{ नारायण प्रसाद }
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-02
अनूपगढ़, जिला-श्रीगंगानगर